मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-12

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 31, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 48 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उनके द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग न माने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला श्योपुर के ग्राम रामबाड़ी में ग्रामवासियों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय न किये जाने,

(2) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर स्थित जेल के नये भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ न होने,

(3) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने सिरमौर क्षेत्र के ग्राम ककडेरी मेनहा में विद्युतप्रदाय न होने,

(4) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने जिला मंदसौर के ग्राम बिलान्यी में 10+2 का हायर सेकेडरी स्कूल न खोले जाने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल स्थित वार्ड क्रमांक 66 मुल्ला कॉलोनी की सड़क की हालत जर्जर होने,

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल के माता मंदिर क्षेत्र, अपेक्स बैंक के समीप बड़े गति अवरोधक बनाये जाने,

(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने भोपाल स्थित विधायक विश्राम गृह से न्यू मार्केट तक रोशनी की व्यवस्था न होने,

(8) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने नगर निगम सिंगरौली के महापौर के पति द्वारा पार्षदों के साथ मारपीट किये जाने,

(9) श्री अजय विश्नोई, सदस्य ने भोपाल के डेंटल कालेज की 50 सीटों के लिये 6000 आवेदन कर्ताओं को विज्ञापन देकर आमंत्रित करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अनूप मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003 पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के पनवार, डभौरा थाना क्षेत्र में अपहरण की घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य ने शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्री, जल संसाधन मंत्री, ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 23 एवं 30 जुलाई, 04 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 04	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-24)	सुश्री कुसुम सिंह	1 घंटा
2. (क्रमांक-27,32,65)	सर्वश्री रमेश सक्सेना, रसाल सिंह, पं.हरिचरण तिवारी	45 मिनिट
3. (क्रमांक-72)	श्री निशिथ पटेल	45 मिनिट

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 04

1. (क्रमांक-52)	श्री रामदयाल अहिरवार	1 घंटा
2. (क्रमांक-69)	श्री उमाशंकर गुप्ता	30 मिनिट
3. (क्रमांक-29,31)	सर्वश्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, रसाल सिंह	1 घंटा

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य ने शहडोल जिले के -
- (क) ग्राम खैरहा स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
- (ख) नन्दना-खितौली मार्ग पर पुल बनाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम धुरवार स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(2) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य ने बुरहानपुर जिले के -
- (क) ग्राम जैनाबाद में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
- (ख) ग्राम पिपरी से बड़सीधी फाटा तक सड़क बनाये जाने,
- (ग) ग्राम फोफनार से बोदरली फाटा तक सड़क बनाये जाने,
- (घ) ग्राम जैनाबाद एवं बुरहानपुर के बीच ताप्ती नदी पर रपटा बनाये जाने,
- (ड.) ग्राम मोहनगढ़ से शेखपुरा तक सड़क बनाये जाने,
- (च) ग्राम इच्छापुर में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने, तथा
- (छ) ग्राम बारोली बोटा से इच्छापुर तक सड़क बनाये जाने, एवं

(3) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य ने भोपाल शहर के टी.टी. नगर क्षेत्र में श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर के लिये भूमि आवंटित कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की।

7. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर के प्रबन्ध मण्डल हेतु सदस्यों का निर्वाचन

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने सदन में कहा कि -

विगत मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2004 को सदन द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबन्ध मण्डल हेतु तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान को सदन के सम्मुख चल रहे महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य को दृष्टिगत रखते हुए स्थगित किया गया था. सदन द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार आगामी बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2004 को विनियोग विधेयक के पारण के साथ ही वित्तीय कार्य सम्पन्न हो जाएगा. तत्पश्चात वर्तमान सत्र की मात्र दो बैठकें ही शेष रहेंगी. अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर के प्रबन्ध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -

(1) नाम निर्देशन पत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिए जा सकते हैं।

(2) नाम निर्देशन पत्रों की जांच सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे से होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2004 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है।

8. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुदानों की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अपना भाषण पूर्ण किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -24	लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल के लिए तीन सौ सैतीस करोड़, अठावन लाख, छः हजार रूपये,
अनुदान संख्या -28	राज्य विधान मण्डल के लिए तेरह करोड़, उनचास लाख, अठानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या -35	पुनर्वास के लिए तैतीस लाख, उनसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या -42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए चौवन करोड़, उन्नीस लाख, पचहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या -51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए पांच करोड़, बयासी लाख, चौतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए एक सौ तैतालीस करोड़, इक्यावन लाख, बत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -76	लोक निर्माण कार्य से संबंधित नाबार्ड एवं विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अड़सठ करोड़, पचपन लाख, नब्बे हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -94	सिंहस्थ मेला, 2004 से संबंधित व्यय के लिए बीस लाख, बहत्तर हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 24	3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,17,19
मांग संख्या - 35	1,2,4,5
मांग संख्या - 42	2,3
मांग संख्या - 51	1,2,3,5,6
मांग संख्या - 67	1,2,3,4
मांग संख्या - 76	1,2

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री निशिथ पटेल

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती सुधा जैन

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) श्री जितेन्द्र

(5) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(6) श्री दुर्गालाल विजय

(7) श्री राजनारायण सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) श्री दीवान सिंह पटेल

(9) श्री जगन्नाथ सिंह पटेल

(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(11) श्री नानालाल पाटीदार

(12) श्री ओमप्रकाश खटीक

(13) श्री के.डी. देशमुख

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(14) श्री प्रियव्रत सिंह

(15) डॉ. सुनीलम्

(16) श्री दिलीप सिंह गुर्जर

(17) श्रीमती रंजना बघेल

(18) डॉ. नारायण परमार

(19) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)

(20) श्री प्रदीप जायसवाल
(21) श्री ओमप्रकाश पुरोहित
(22) श्री शंकर लाल तिवारी
(23) श्री रघुनाथ सिंह
(24) श्री उम्मेद सिंह बना
(25) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला
(26) श्री रमाकांत तिवारी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(27) श्री रामनिवास रावत
(28) श्री मेहरबान सिंह रावत
(29) श्री इन्द्रजीत कुमार
(30) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(31) श्री अन्तर सिंह दरबार

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) चौधरी चंद्रभान सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -44	उच्च शिक्षा के लिए दो सौ सत्रह करोड़, नवासी लाख, तेईस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अड़सठ करोड़, चौरानवे लाख, तिरपन हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -87	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पांच करोड़, नब्बे लाख, पचानवे हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 44	2,3,4,5,6,7
मांग संख्या - 47	1,2,5,7,8

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया

(1) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री घनश्याम सिंह
(5) डॉ. सुनीलम्
(6) श्री भूपेन्द्र आर्य
(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(9) डॉ. गोविन्द सिंह
(10) सुश्री ऊषा ठाकुर

चौधरी चन्द्रभान सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2004 (श्रावण 1, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.